Rs 15000

भारत INDIA

Rs 15000

0388 957960

1 JUN 2016

-1-

विक्रय अनुबन्ध पत्र मय कब्जा

कुल विक्रय राशि	–	रु0 4,80,000/–
अग्रिम धनराशि	–	रु0 4,75,000/–
बकाया धनराशि	–	रु0 5,000/–
मालियत		रु0 2,50,280/–
अदा किये गये स्टाम्प शुल्क	–	रु0 33,100/–

1. कुल क्षेत्रफल – [illegible]

[illegible]

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000

0388 657970

- 1 JUN 2017

2. परगना — बिजनौर

3. ग्राम — धरौन

4. सम्पत्ति का विवरण— गाटा संख्या 516 रकबा 0.376 व टाइप संख्या 579 रकबा 0.202 कुल कि कुल रकबा 0.278 हेक्टेयर का 1/3 भाग अर्थात विक्रीत रकबा 0.0927 हे० स्थित ग्राम— धरौन, परगना — बिजनौर, तहसील व जिला बिजनौर

5. मापन की इकाई — हेक्टेयर

6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल — 0.0927 हेक्टेयर

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

V 599322

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

7. सड़क की स्थिति — [illegible]

8. सम्पत्ति का प्रकार — कृषि

9. पेड़ की स्थिति — [illegible]

10. मोबाईल / कुआ आदि — कुआ भी नहीं है।

चौहद्दी खसरा नं0 [illegible]

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

उत्तर	:	[illegible]
दक्षिण	:	[illegible]
पूरब	:	[illegible]
पश्चिम	:	[illegible]

चौकड़ी [illegible]

उत्तर	:	[illegible]
दक्षिण	:	[illegible]
पूरब	:	[illegible]
पश्चिम	:	[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 559528

प्रथम पक्ष का विवरण	:	द्वितीय पक्ष का विवरण
रामलखन पुत्र श्री रामपाल निवासीग्राम–चौधरीखेड़ा, थाना परगना बिलग्राम तहसील व जिला लखनऊ।	:	कुन्नी पुत्र राजाराम निवासी ग्राम– पूरे निसी किलोली जिला लखनऊ।

व्यवसाय कृषि

व्यवसाय कृषि

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

यह फिल्म अनुबन्ध एक रामजतन पुत्र श्री रामपाल निवासी ग्राम-लौहारीखेड़ा, वर्तमान पता- बेलगारि तहसील व जिला लखनऊ। जिसे आगे प्रथम पक्ष कहा गया है जिसके अन्तर्गत प्रथम ऊ० मो विधिक उत्तराधिकारी, वारिसान एवं निष्पादकगण सम्मिलित है।

एवम्

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु.-100

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

AQ 906527

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

[illegible] पुत्र राजाराम तिवारी ग्राम- [illegible] निवासी, मिलौली, जिला रायबरेली। जिन्हें [illegible] द्वितीय पक्ष उक्त भूमि के [illegible] अन्तरण द्वितीय पक्ष के [illegible] उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि एवं विधिक प्रतिनिधि हैं के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि प्रथम पक्ष भूमि खसरा संख्या 510 रकबा 0.076 हे0 [illegible] खसरा संख्या 520/1 रकबा 0.202 हे0 कि कुल रकबा 0.278 हे0 [illegible] 1/3 भाग अर्थात विक्रीत रकबा 0.0927 हे0 स्थित ग्राम- [illegible], परगना- [illegible], तहसील व जिला सहारनपुर का

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु.100

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AU 966528

मालिक, कार्यालय व कलेक्ट्रेट के [illegible] स्थापित [illegible] खाता खतौनी संख्या 0.5256 के अनुसार भूमि [illegible] नाम [illegible] अंकित है। [illegible] अपना अपूर्ण हिस्सा हिबा [illegible] को इस विक्रय अनुबन्ध [illegible]

विक्रय कर रहा है। प्रथम पक्ष उपरोक्त [illegible] भूमि के [illegible] [illegible] व [illegible] है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि पूर्व भू.क्र. [illegible] पर [illegible] प्रथम पक्ष यह अभिव्यक्त करता है कि उपरोक्त भूमि सन् 2002 के बाद से मुद्दत पर बाक़ी व कब्जा है, प्रथम पक्ष ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं अन्य हिबा, बिक्री या अनुबंधित इत्यादि नहीं किया है। प्रथम पक्ष ने उक्त भूमि पर कृषि ऋण व अन्य प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा ऋण साबित में निकलता है तो उसके जिम्मेदार प्रथम पक्ष व उसके वारिसान व वैधानिक उत्तराधिकारी होंगे। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है न ही कुर्की इत्यादि है। प्रथम ऋण के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का कोई हक या [illegible] इत्यादि नहीं है, एवं प्रथम पक्ष ने उक्त अनुरूप कहने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के [illegible] द्वारा विक्रय मूल्य रु० 4,50,000/- (रु० चार लाख पचास हजार मात्र) के प्रतिफल में द्वितीय पक्ष को विक्रय करना तय किया है जिसमें से पहले अग्रिम धनराशि रु० 4,75,000/- (रु० चार लाख पचहत्तर हजार मात्र) प्रथम पक्ष ने प्राप्त कर लिया है जिसका उल्लेख द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को इस विलेख के अन्त में की गई अनुसूची के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को प्रथम पक्ष सही स्वीकार करता है तथा प्रथम पक्ष सक्षम अधिकारी से सक्षमपीठ मुनिसिब दर्ज करवा कर द्वितीय पक्ष के पक्ष में इकरारनामा मुनिसिब घोषित होने के बाद सक्षम अधिकारी से विक्रय करने की अनुमति लेगा और अनुमति प्राप्त होने के पश्चात

द्वितीय पक्ष को कुल्फ देना और पूरा करने की तारीख से तीन महीने के अन्दर द्वितीय पक्ष के पक्ष में पंजीकृत विक्रय लेख निष्पादित करेगा, रू० 5,000/- (रुपये पाँच हजार मात्र) लेकर अवश्य निष्पादित कर देगा तथा कोई ईसा अदायगी के लिये नहीं करेगा तथा ऐसा किये की दशा में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह अदालत विक्रय विलेख निष्पादित करवा ले।

यह कि प्रथम पक्ष द्वारा विलेख पूरा करने का उत्तरदायित्व इस अनुबन्ध पत्र द्वारा द्वितीय पक्ष को दिया जा रहा है।

यह कि प्रथम पक्ष उक्त इकरारनामे पर प्रथम पक्ष तथा उनके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है।

यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति किसी अन्य व्यक्ति के नाम बैनामा पंजीकृत न होने के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण द्वितीय पक्ष या उनके वारिसान निष्पादकगण हस्तान्तरण के कार्य पर अधिकार या स्वत्व से विलग नहीं की द्वितीय पक्ष उनके वारिसान, निष्पादकगण करेंगे की यह शर्त होगा कि वह अपना समस्त दुरुस्तान पत्र इसी के हक्की, नकल तक की रूह अथवा सम्पत्ति के लिये अदालत वगैरह कर लें। उस स्थिति में प्रथम पक्ष एवं उनके वारिसान इसमें न अपील करने बतु कायम होगा।

यह कि प्रथम पक्ष यह भी घोषित करता है कि उक्त भूमि विक्रयशुदा विवाद प्रतिबन्धित, बन्धक तथा उसके आलावा उस विलेख परिवार लम्बित तथा अन्य किसी के हकदारी अथवा बैनामे की रोक द्वारा आरोपित नहीं की गया है और न ही प्रतिबन्धित है।

विक्रेता

क्रेता

यह कि इस विक्रय अनुबन्ध पत्र के गुटे का आगे कोई बकाया किसी प्रकार का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसके प्रथम पक्ष भुगतान व वहन करेंगे, प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर [illegible] भूमि [illegible] के सामान्य दान के अन्तर्गत आती है [illegible] निर्धारित [illegible] रु0 27,00,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.0807 हे0 की धनराशि रु 2,30,290/- होती है चूंकि विक्रय मूल्य भूमि की आधार मूल्य के अनुसार है इसलिए निबन्धन के विक्रय मूल्य पर ही रु0 33,700/- [illegible] अदा किया जा रहा है। क्रय पक्ष एक हरिजन [illegible] अनुसूचित जाति के [illegible] है। इस लिहाज अनुदान दान के निबन्धन का समस्त व्यय द्वितीय पक्ष [illegible] किया गया है।

हिदायत यह विक्रय अनुबन्ध [illegible] द्वारा द्वितीय पक्ष के [illegible] बिना किसी भार व [illegible] के अन्य विक्रय पत्र को [illegible] लिख दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत काम आवे।

<u>परिशिष्ट: भुगतान विवरण</u>

1. प्रथम पक्ष को रु0 4,53,000/- द्वारा चेक संख्या-[illegible] दिनांकित [illegible] [illegible] बैंक, [illegible] जरिये द्वितीय पक्ष को प्राप्त हुए।

[illegible]

[illegible]

2. [illegible] पक्ष को रू0 25,000/- [illegible] पक्ष से प्राप्त हुए।

इस प्रकार [illegible] का कुल [illegible] रू0 4,75,000/- (रू0 चार लाख पचहत्तर हजार मात्र) हैसियत [illegible] प्राप्त हुए विवरणी अधि[illegible] पर स्वीकार करता हूँ।

लखनऊ

दिनांक : [illegible]

गवाह :

1. [illegible]

प्रथम पक्ष

2. [illegible]

द्वितीय पक्ष

अधिवक्ता

([illegible] सिंह)
सिविल कोर्ट लखनऊ

मध्यस्थ

(देवाशीष रमन सिंह)
एडवोकेट
[illegible] कोर्ट लखनऊ

पी. के. द्विवेदी
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ

पी. के. द्विवेदी
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ

Kort

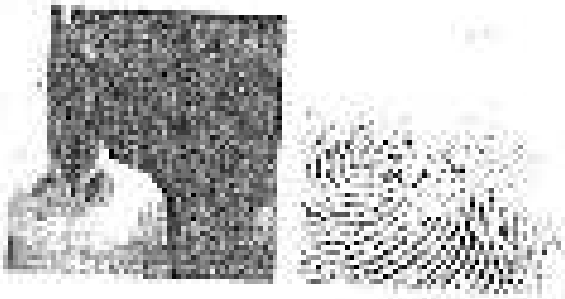

नरट्रेशन आफ 1808 की धारा–32(0 के अनुपालन हेतु, फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रथम पक्ष के नाम व पता: रामलाल पुत्र श्री [illegible] निवासी [illegible] तहसील व जिला [illegible]

बाये हाथ के अंगुलियों के निशान

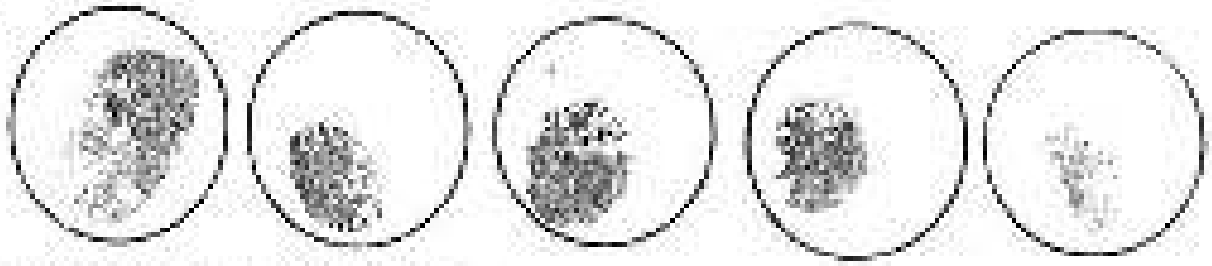

दाये हाथ की अंगुलियों के निशान :–

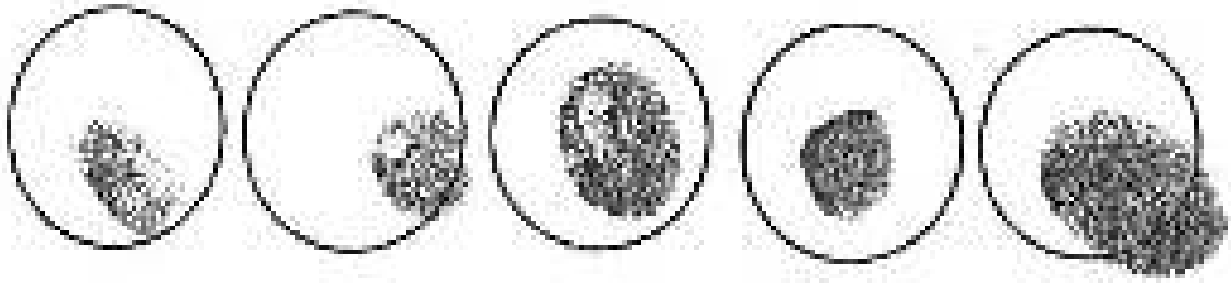

द्वितीय पक्ष का नाम व पता– मुन्नी पुत्र राजाराम निवासी ग्राम [illegible] तहसील [illegible]

प्रथम पक्ष के हस्ताक्षर

बाये हाथ के अंगुलियों के निशान–

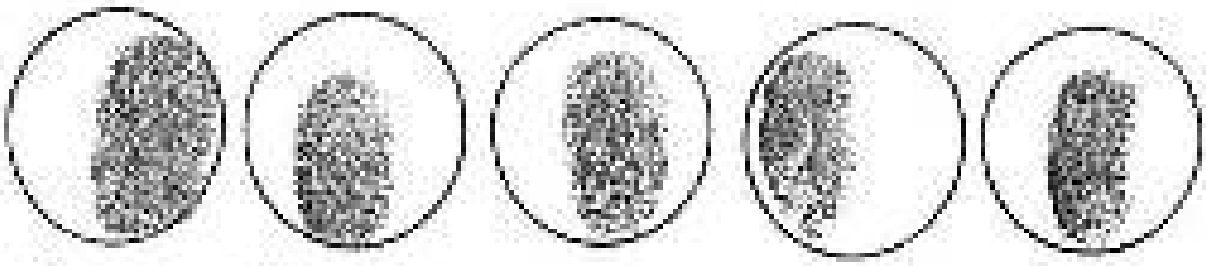

दाहिने हाथ के अंगुलियों के निशान :–

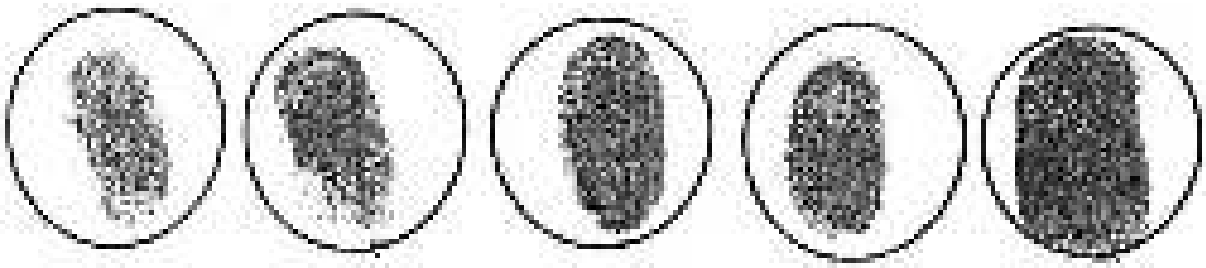

द्वितीय पक्ष

मुन्नी

পাস নং 19/08/2011 তাং

মৌজা 1 দাগ নং 13200

খতিয়ান নং 112 হতে 148 পর্যন্ত 13332

বিনামূল্যে দিতে হবে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী

কি. ক. সিরাজ

এম সিনিয়র (অফিস)

সহকারী

কমিশনার